(नियम 26)

2022/229

अति. जिला कलेक्टर मुकाम ...

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ... बनाम पुनीत कुमार मोदी

खाद्य सुरक्षा नं. 33 सन 2022

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/22	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफएसएसएआई एक्ट 2006 एवं नियम 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18/8/2022 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं	
18/8/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 16/9/22 को पेश हो।	
9/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 21/10/22 को पेश हो। रीडर	
10.2022	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 17/11/2022 को पेश हो।	
11/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 15/12/22 को पेश हो। रीडर	
5/12/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 24/1/23	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:03:35 IST
Reason: SelfAttested

खाद्य सुरक्षा बनाम पुनीत कुमार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 12-5-33/2022
25/1/23	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वय उपस्थित। मैंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी, मण्ड्रेला मोड़, पिलानी रोड़ चिड़ावा झुन्झुनू में मै0 मोदी ट्रेडर्स के नाम से फर्म है जहां वह किराणा सामान का बेचान करता है। उसकी दुकान से सरसों तेल (लूज) का सैम्पल लिया गया था जो कि Contravenes of Regulation पाया गया है। अनावेदक का कथन है कि अब उसने खुला तेल बेचना बन्द कर दिया है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./791/एक्ट/2022/832 दिनांक 10.03..2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ सरसो तेल (लूज) Contravenes of Regulation पाया गया है। जो एफ. एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी फर्म मै0 मोदी ट्रेडर्स पर सरसों तेल (लूज) का बेचान करता है तथा स्वयं फर्म मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ सरसों तेल (लूज) Contravenes of Regulation पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री पुनित कुमार मोदी पुत्र श्री पवन कुमार, मै0 मोदी ट्रेडर्स मण्ड्रेला मोड़, पिलानी रोड़, चिड़ावा, झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 15000/– पन्द्रह हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली बाद शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:03:35 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू